

10/2/2020

पत्र तली पैशादुई । वकुलार फाकेन उपाधित
वकील असार्थी ने हलालकरकी शर्चना
पत्र की विवादित आराजी की जमावदीलंबत
2075-2078 प्रस्तुती, झवलोकन क्रिया
गमा । प्रस्तुत जमावदी में बालक कश्मिरी
के नाम शमि का हिस्सा झतुलाट दर्ज क्रिया
गमा है, उक्त जमावदी राजस्थान सरकार
की DILRMP योजनागत कम्यूटीकल
आनलाइन जमावदी है। DILRMP योजना
के अन्तर्गत जमावदी के जाने की अशुद्धियों
का पुराने किए जाने का प्रावधान है शर्चना
के शर्चना पत्र का झवलोकन क्रिया गमा । शर्चना
पत्र 136 LR Act का अनुसूच, शर्चना पत्र
के पैरा 4, पैरा 1, पूर्व निर्णय दिनांक
27/6/2016 के झवलोकन से स्पष्ट है कि
शर्चना पत्र के सब धर्म पक्षकारान के
हिस्सा का रकबा की वजाम हिस्सा झतुलाट
शुद्ध किए जाने का अनुसूच ही धारा 136
LR Act के तहत दिए जाने भोग्य है शर्चना
पत्र की अन्य मसो के तथ्य धारा 136 LR Act

Handwritten signature



के अन्तर्गत शुद्धि योग्य नहीं है। प्रार्थीगण
 द्वारा मांगा गया अनुलोष पत्रकारान का
 दिस्मा दर्ज करना प्रदान कर दिया गया
 है। अज्ञात प्रार्थीगण भी प्रार्थना पत्र में कोई
 साक्ष्य या दस्तावेज काट पत्र नहीं करना
 चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण
 में अब कोई कार्यवाही या अनुलोष शेष
 न रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना
 पत्र पोषणीय न रहने के कारण खारिज
 किया जाता है। निर्णय कुल-थामालय
 में हुआ गया। पत्रावली निर्णय शुभान
 होकर नाम्बर ६ कम होकर दालिबल पत्र
 है

17/10

17/10

17/10